न्यायालय संभागीय आयुक्त,जयपुर

अपील संख्याः 338/2019 (जीसीएमएस 2019/00302)

1. सोहनलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री भँवरलाल शर्मा,
2. मोहनलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री भँवरलाल शर्मा समस्त जाति ब्राह्मण निवासी मन्दिर वाली ढ़ाणी ग्राम अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---अपीलांट्स

बनाम

1. बाबूलाल शर्मा पुत्र स्व. श्री भँवरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मन्दिर वाली ढ़ाणी ग्राम अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---रेस्पोडेन्ट

2. चाँद बाबू उर्फ छुट्टन पुत्र स्व. भँवरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 138 ग्रीन मार्केट, दादी का फाटक, झोटवाड़ा, जयपुर।
3. श्रीमती कृष्णा पुत्री स्व. भँवरलाल शर्मा पत्नी श्री रामशरण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कुम्हारों की ढ़ाणी, ग्राम बैनाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. श्रीमती गीता पुत्री स्व. भँवरलाल शर्मा पत्नी श्री गोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कुम्हारों की ढ़ाणी, ग्राम बैनाड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. श्रीमती निर्मला उर्फ कमला पुत्री स्व. भँवरलाल शर्मा पत्नी श्री टोडरमल शर्मा निवासी प्लाट नम्बर 105 आसीद नगर न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।
6. जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी मन्दिर वाली ढ़ाणी, ग्राम अखैपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. ग्राम पंचायत अखैपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अखैपुरा, पंचायत समिति आमेर, जिला जयपुर।
8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

---तरबीबी रेस्पोडेन्ड्स

निर्णय

दिनांक 25.08.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनाँक 16.12.2019 असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त जयपुर

अधिवक्त अपीलान्ट ने कथन किया है कि ग्राम अखैपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 48 लगायत 58 व 64, 67 कुल किता 13 कुल रकबा 3.4134 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायत 5 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 के दादा श्री भँवरलाल शर्मा पुत्र बद्रीनारायण की स्व-अर्जित सम्पत्ति थी तथा श्री भँवरलाल शर्मा द्वारा अपनी स्व-अर्जित सम्पत्ति की एक वसीयत दिनाँक 20.03.2004 को उप-पंजीयक

P.T.O.

जयपुर प्रथम में पंजीयन करायी गई, भँवरलाल शर्मा की मृत्यु होने पर वसीयत के आधार पर विवादग्रस्त आराजीयात का नामान्तकरण संख्या 114 दिनाँक 29.10.2010 तहसीलदार आमेर द्वारा स्वीकृत किया गया, वसीयत में प्राप्त आराजी में हिस्सा 1/16 श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व. भँवरलाल को प्राप्त हुई जो कि उनकी स्व–अर्जित सम्पत्ति थी, सुशीला देवी का स्वर्गवास दिनाँक 14.08.2016 को होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 15 (1)(क) हिन्दू महिला जिसकी निर्वसीयती मृत्यु होती है तो उसकी सम्पत्ति पहले उसके पुत्रों एवं पुत्रियों को मिलेगी, इसी आधार पर ग्राम पंचायत अखैपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 290 दिनाँक 15.07.2019 को स्व. सुशीला देवी के सभी जायज वारिसों के नाम फौती नामान्तकरण पुत्र, पुत्रियों के नाम तस्दीक कर दिया गया जिसके विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक अपील उपखण्ड अधिकारी आमेर में प्रस्तुत की गई जिसमें अपने विवेक व कानूनी बिन्दू को नजर–अन्दाज करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2019 पारित किया गया है जो निर्णय विधि विधान तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 15 हिन्दू महिला की कोई भी सम्पत्ति इस के असंगत की वह किस प्रकार से अर्जित की थी उसकी स्वतन्त्र सम्पत्ति बन जाती है, स्व. सुशीला देवी को सम्पत्ति वसीयत द्वारा प्राप्त हुई थी, सुशीला देवी की मृत्यु पर उसके जायज जीवित पुत्र, पुत्रियों के नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया था जिसको खारिज करने में कानूनी भूल की हैं, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय हैं। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी थी कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 15 (1)(क) हिन्दू महिला जिसकी निर्वसीयत मृत्यु होती है उसकी सम्पत्ति पहले उसके पुत्रों एवं पुत्रियों को मिलेगी जो कि नामान्तकरण में सभी पुत्रों, पुत्रियों को प्राप्त हुई है फिर भी अपने विवेक का इस्तेमाल न कर कानूनी भूल की हैं, इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी थी वसीयत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 114 दिनाँक 29.10.2010 तस्दीक हो चुका था तथा वसीयती सम्पत्ति स्व–अर्जित सम्पत्ति मानी जाती हैं तथा ग्राम पंचायत द्वारा सुशीला देवी की मृत्यु निर्वसीयत हुई थी, जिसके वारिसों की जाँच करने के उपरान्त उत्तराधिकारियों के नाम नामान्तकरण विधिवत रूप से तस्दीक किया गया था। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण जानकारी थी विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत करने के लिये ग्राम पंचायत सक्षम थी और नामान्तकरण स्वीकृत करते समय अथवा उससे पहले ग्राम पंचायत के सामने रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं था, मजमेआम में नामान्तरकरण

प्रभागीय आयुक्त
जयपुर

की कार्यवाही की थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की अपील स्वीकार करने में कानूनी भूल की हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय हैं।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी जानकारी थी कि विरासत व वसीयत के बीच विवाद होने की स्थिति में विरासत के आधार पर नामन्तकरण स्वीकृत किया जाना ही विधिक कार्यवाही हैं, वसीयत के अधार पर हक का दावा करने वाले को सक्षम न्यायालय से वसीयत के आधार पर उत्तराधिकार की घोषणा करानी चाहिए लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की अपील स्वीकार करने में कानूनी भूल की हैं। उन्होने यह भी कथन किया है कि जब किसी वसीयत से प्राकृतिक वारिसान को विरासत से वंचित किया जाता है तो ऐसी वसीयत प्रथम दृष्ट्या संदिग्ध परिस्थितियों से घीरी हुई मानी जाती है, जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1925 की धारा 63 अनुसार सद्भावी व संदेह से परे सिद्ध करने का दायित्व वसीयत के लाभार्थी का हैं तथा कानूनी उत्तराधिकारियों के विरूद्ध ऐसी वसीयत को आधार नहीं बनाया जा सकता जो कि अभी सिद्ध होनी है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की अपील स्वीकार करने में कानूनी भूल की हैं। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय 16.12.2019 निरस्तनीय हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, मु. जयपुर द्वारा अपील संख्या 11/2019 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनाँक 16.12.2019 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 290 दिनाँक 15.07.2019 जो वारिसों के नाम ग्राम पंचायत अखैपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया है, को यथावत रखा जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि ग्राम अखैपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसार नम्बर 48 रकबा 0.70 हैक्टयर, खसरा नम्बर 49 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.69 हैक्टयर खसरा नम्बर 52 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 54 रकबा 0.66 हैक्टयर, खसरा नम्बर 55 रकबा 0.19 हैक्टयर खसरा नम्बर 56 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 57 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 58 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 64 रकबा 0.13 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर **67** रकबा 0.21 हैक्टयर कुल किता 13 कुल रकबा 3.4184 हैक्टयर भूमि अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. श्री भंवरलाल पुत्र बद्रीनारायण की स्वअर्जित सम्पत्ति है जिन्होने अपने जीवनकाल में दिनांक **2.03.2001** को अपीलान्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्तियों में निहित उत्तराधिकारी अधिकारों से वंचित कर दिया था जिसकी वजह से अपीलान्ट को उपरोक्त वर्णित भूमियों में कोई अधिकार कभी प्राप्त नही हो सकता है किन्तु फिर भी अपीलान्ट ने षडयंत्र कर स्व0 श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी भंवरलाल के 1/16 हिस्से की सम्पत्ति का नामान्तरकरण अवैध व गोपनीय तरीके से अपने नाम अंकित करवा लिया जो निरस्तनीय ही था।

राजस्व अपील अधिकारी / आयुक्त जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि अपीलान्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने स्व. श्री भंवरलाल एवं उनकी धर्मपत्नी स्व. श्रीमती सुशीलादेवी को उनके जीवनकाल में अत्याधिक कष्ट एवं संताप दिये थे जिनकी वजह से अपीलार्थी एवं रेस्पोउेट के पिता स्व. श्री भंवरलाल ने अपीलान्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपने समस्त उत्तराधिकारी अधिकारों से वंचित कर उन्हे अपनी जीवन से निष्कासित कर दिया था तथा स्व. श्री भंवरलाल शर्मा द्वारा की गई उक्त कार्यवाही को अपीलान्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 तथा समस्त परिवार व समाज ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार अपीलान्ट संख्या 2 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का स्व. श्री भंवरलाल शर्मा के परिवार से कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नही रहा किन्तु फिर भी तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 व 7 साजिश कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 290 स्व. श्रीमती सुशीला देवी की विरासत का अपने नाम अंकित करवा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य ही था। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद एवं परीक्षण करने के उपरान्त ही विधि सम्मत अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2019 द्वारा प्रकरण तहसीलदार आमेर को प्रतिप्रेषित ही किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार आमेर द्वारा पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत एवं गुणावगुण के आधार पर अंतिम निर्णय होना अभी बाकी है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2019 में किसी प्रकार की कानूनी गलती नही है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमायी जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने अपील के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर कतई गौर नही किया कि अपीलाधीन भूमि मृतका को जरिये वसीयत प्राप्त हुई थी जिनकी निर्वसीयत मृत्यु के पश्चात् उनके नाम दर्ज व अंकित सम्पत्ति उनके समस्त विधिक वारिसान यानि पुत्र/पुत्री को प्राप्त होगी एवं इसी के आधार पर तहसीलदार आमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 15.07.2019 को दर्ज व तस्दीक किया था जो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एंव लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की पूर्ण पालना करते हुय नामान्तरकरण दर्ज किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने निरस्त कर पूर्णतः कानून की अवहेलना की है ऐसे में अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करते समय अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी नामान्तरकरण दर्ज करते समय ही हो गई थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पूर्णतः मियाद बाहर प्रस्ततु की गई थी जो मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर भारी कानूनी भूल की है।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भ से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सांठ गांठ करते हुये उक्त अपीलाधीन आदेश पूर्णतः विधि विधान के विरूद्ध पारित किया है जो इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि किसी भी अपील में निर्णय करने से पूर्व अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली/नामान्तरकरण मंगवाया जाना आवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से नामान्तरकरण तलब ही नही किया गया जिसकी पुष्टि तहसीलदार द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र के संदर्भ में दिये गये जवाब से स्पष्ट है, साथी ही प्रार्थी द्वारा तहसीलदार आमेर के डिस्पेच रजिस्टर एवं अधीनस्थ न्यायालय के पावती रजिस्टर से स्पष्ट है कि ना तो तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय में उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण प्राप्त हुआ है तथा लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 75 मे स्पष्ट है कि किसी भी अपील या आदेश के निर्णय करने से पूर्व उसके अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सम्बन्धित कार्यालय/तहसीलदलार से प्राप्त किया जाना आवश्यक है उसके अभाव में अपील का निस्तारण नही किया जा सकता परन्तु उपरोक्त उनवानी अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से सांठ गांठ करते हुये विधि विधान के विरूद्ध, बिना अधीनस्थ न्यायालय से पत्राचार किये एवं बिना पत्रावली/नामान्तरकरण जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह निरस्तनीय है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2019 को निरस्त फरमाते हुये नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 15.07.2019 को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. श्री भंवरलाल शर्मा द्वारा अपने पुत्र मोहनलाल व चांद बाबू उर्फ छुट्टन को अपनी सम्पत्ति से वंचिन किया गया है, तत्पश्चात् स्व. भंवरलाल शर्मा की वसीयत के अनुसार ही उनकी सम्पत्ति का नामान्तरकरण स्वीकार हुआ जिसमें खातेदार भंवरलाल शर्मा की पत्नी सुशीला देवी के हिस्से में 1/16 हिस्सा आराजी का आया है जो श्रीमती सुशीला देवी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो गई तथा श्रीमती सुशीला देवी द्वारा अपने उक्त 1/16 की आराजी को वसीयत, दान, बख्शीश या अन्य किसी तरह से किसी को भी अन्तरण नही किया गया है तथा सुशीला देवी की मृत्यु होने के उपरान्त स्व. श्रीमती सुशीला देवी के हिस्से की आराजी का वादग्रस्त नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 15.07.2019 को उनके सभी वारिसान के नाम तहसीलदार द्वारा स्वीकार किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है क्योंकि स्व. भंवरलाल शर्मा द्वारा अपीलान्ट संख्या 2 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को अपनी सम्पत्ति से वंचित किया गया था, स्व. सुशीला देवी पत्नी भंवरलाल शर्मा द्वारा अपने किसी भी वारिस को अपने हिस्से की सम्पत्ति से वंचित नही किया गया है। ऐसे में उक्त वादग्रस्त नामान्तरकरण को निरस्त करने के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कोई ठोस कारण या आधार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नही थे उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर प्रकरण बेवजह रिमाण्ड किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2019 को निरस्त किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आमेर जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.12.2019 को निरस्त किया जाता है तथा नामान्तरकरण संख्या 290 वाके ग्राम अखैपुरा तहसील आमेर पर सरपंच ग्राम पंचायत अखैपुरा तहसील आमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त, आयुक्त
जयपुर जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.08.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
संभागीय आयुक्त
जयपुर